

08.04.2022

पत्रावली सेवा डूरे प्रकरण वर्ष 2017 से तलवी में लंबित है। वकील काही/जाकी द्वारा पत्रिकादीकरण की तलवी अर्थात् लक्ष्मण शर्मा करवाये गयी है ना ही पत्रिका तलबना योग्येस वास्ते तलवी के डूरे के अर्थात् अर्थात् की चालना की है। अतः पाद काही का अर्थात् धारा 88, 88 आर.पी. एम. तलवी अर्थात् में अर्थात् 8-9, 8-5 जा. पी. के तलबना एतद्वारा स्थापित किया जाता है। पत्रावली केसल सुमाद होकर केसल से केसल की जाकर हासिल हएवर से। अर्थात् सुले अर्थात् में सुनाया जाकर मेरे अर्थात् व अर्थात् सुमा से जाते किया गया है।

सहायक कलेक्टर
साँभर लेक

